न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 50/2021

दिनांकः– 07.04..2021

अनवान

नाथुलाल पिता सवाईलाल जी जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी होडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज)

––वादी

बनाम

1. आशा पुत्री गिरीराजसिंह राठौड उम्र वयस्क पंचवटी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. प्रिया पुत्री गिरीराज सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पंचवटी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. सम्पतकुंवर पत्नि गिरीराजसिंह राठौड़ उम्र वयस्क पंचवटी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. लीला पत्नी बंशीलाल जी जाति ब्राहम्ण उम्र निवासी होडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम पुत्री नंद किशोर जी ब्राहम्ण निवासी ढबटी तहसील व जिला राजसमंद
5. हरिसिंह पिता फोजसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी धरोल तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. श्रीमान् बैंक मेनेजर साहब, भाखा पंजाब नेशनल बैंक शाखा सावा तहसील चित्तौड़गढ़
7. श्रीमान् तहसीलदार साहब, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–––प्रतिवादीगण–

<u>वाद पत्र––धारा 53,188,209 राज. टिनेन्सी एक्ट</u>

<u>बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:38:08 IST
Reason: SelfAttested

वादी कि ओर से वाद पत्र ओर्डर 7 नियम 1,2 जा.दी. निम्न प्रकार से पेश है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम होडा पटवार हल्का होडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित ह[illegible] आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार से है–

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

(अ) खाता संख्या 109 आराजी नं0 616 रकबा 2.1000 हेक्टर, लगानी 29.40/–रू स्थित है साक्ष्य में नकल जमाबन्दी पेश है। उक्त आराजीयात में वादी का 1/2 हक हिस्सा एवं शेष प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का निहीत होकर मुख्य रोड चितौड़गढ़ से उदयपुर वाले रोड से सटमा होकर मौके पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है लेकिन रेकार्ड में बंटवारा नही हुआ है।

(ब) खता संख्या 217 जिसके आराजी नं. 612 रकबा 0.2400 हैक्टर, आराजी नं. 613 रकबा 0.0800 हैक्टर , आराजी नं. 614 रकबा 0.1500 हैक्टर, कुल रकबा 0.4700 हैक्टर कुल लगानी 4.04/–रू स्थित है साक्ष्य में नकल जमाबंन्दी सम्वत् 2076 की पेश है। उक्त आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा एव शेष प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का स्थित होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है।

3. यह कि उक्त आराजीयात संयूक्त खातेदारी में दर्ज होकर विधिवत पाति बटवाडा नही हुआ है और मौके पर हिस्से के अनुसार काबिज हो काश्त कर रहे है लेकिन मौके पर स्थायी सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन मेड पाली को लेकर एवं लगान को लेकर विवाद होते रहते है, तथा प्रतिवादीगण हर साल वादी के हिस्से पर कब्जा करने कि दुर्भावना रखते है जिससे पक्षकारान के मध्य बाई मिन्टस एवं बाउंडस पाति बटवाडा अलग अलग कराया जाना न्यायोचित होने से यह दावा पांति बटवाडा हेतु पेश है।
4. यह कि रेकार्डेड नाप चौक करके बंटवारा नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 व 5 आराजी नंबर 612, 613, 614 पर बिना किसी आधार के किसी न किसी तरीके से उक्त आराजीयात पर मकान निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जो कि काबिज है उसमें भी जबरन नींवें खोदकर वादी को अपने कब्जे से मेहरूम व बेआमादा हो गये जिस पर वादी ने काफी समजाईश की फिर भी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा उक्त आराजी 612, 613, 614 पर जबरन निर्माण काय्र करने पर आमादा है जिस कारण उक्त बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हुआ है और वादी द्वारा प्रतिवादीगण को बंटवाडा हेतू कहा लेकिन प्रतिवादीगण जानबुझकर टालमटुल करते रहते है इसलिए यह बटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पे ा करना आव यक हुआ है।
5. यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 15.02.2021 को बटवाडा कराने हेतु कहा मगर प्रतिवादीगण ने बंटवारे करने से टालमटोल करने से वादकारण पैदा होकर निरंतर जारी होने से वाद अन्दर अवधि पेश है।
6. यह कि बंशीलाल की मृत्यू हो जाने से उसकी पत्नी लीलाबाई को पक्षकार बनाया है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2022.01.03 13:38:08 IST
Reason: Self Attested

अतः प्रार्थना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद पत्र स्वीकार फरमा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री दिलायी जावे कि:–

(क) कि वादपत्र की कलम नं. 1(अ) में वर्णित आराजी नंबर 616 रकबा 2.1000 हैक्टर में वादी का 1/2 हक हिस्सा एवं शेष प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का हक हिस्सा निहीत होने से उक्त आराजीयात में वादी के 1/2 हक हिस्से की फटनी संयुक्त खाते मे से अलग करते हुए पृथक से खाते में दर्ज कर लगान एवं नक्शे में पृथक से दर्ज करने का आदेश फरमावें।

(ख) कि वादपत्र की कलम नं. 1(ब) में वर्णित आराजी नं. 612,613,614 कुल रकबा 0.47 हैक्टर में वादी का 1/2 हक हिस्सा एवं शेष प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का हक हिस्सा निहीत होने से उक्त आराजीयात में वादी के 1/2 हक हिस्से की फंटनी संयुक्त खाते मे से अलग करते हुए पृथक से खाते में दर्ज कर लगान एवं नक्शे में पृथक से दर्ज करने का आदेश फरमावें।

(ग) कि प्रतिवादीगण को इस आशय कि स्थायी निषेधाज्ञा डिग्री से पाबंद कराया जावे कि वह पाति बंटवाडा अलग अलग कराये बिना किसी भी अन्य व्यक्ति को विक्रय, हस्तान्तरण नही करे, न वादी के हिस्से कब्जे की आराजी कि तरफ कोई रास्ता निकाले, न वादी के हिस्से कब्जे मे दखलअंदाजी करे, न स्वयं ऐसा करे न किसी [illegible] से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये [illegible] गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,6,7 बावजूद सूचना अनुपस्थित [illegible] उनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये । प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सिंह पंवार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया और बंटवारा करने की सहमति दी।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर इकबाली होने से तनकी कायम नहीं की गई। लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने इस्तदुआ की ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से बखूबी साबित कराया है कि ग्राम होडा प0ह0 होडा की प्रश्नगत आराजी नम्बर 616 रकबा 2.1000 हैक्टर आराजी 612 रकबा 0.2400 हैक्ट आराजी नं0 613 रकबा 0.0800 हैक्टर आराजी नं0 614 रकबा 0.1500 हैक्टर से वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है जिसमें से वादी उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादी

उपखण्ड अधिकारी
...देसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:38:08 IST
Reason: SelfAttested

1/2 हक हिस्से का खातेदार होकर अपना हक हिस्सा अलग करवा बंटवाडा करवाना चाहता है। जिसमें प्रतिवादी सं01 से 4 बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से यह माना जायेगा कि उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी सं0 5 ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जिसने बंटवाडा करने की सहमति देते हुए कब्जे को मध्यनजर रखने का निवेदन किया जिसमें वादी को भी कोई आपत्ति नहीं है। अतः पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन करने से वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है । ग्राम होडा प0ह0 होडा की आराजी नं0 616 में वादी का 1/2 एवं शेष प्रतिवादी सं0 1 से 4 का संयुक्त रखा जावे एवं आराजी नं0 612,613,614 में वादी का 1/2 हक हिस्सा शेष प्रतिवादी सं0 4 व 5 का संयुक्त रूप से फर्द बंटवारा मौके पर कब्जे को ध्यान मे रखते हुए फर्द बंटवारा किये जाने हेतु आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार भदेसर को 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव लगान फाटनी कर कर मय नक्शा ट्रेस उभय पक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया जाकर एक माह में प्रस्तुत करें । विभाजन में संबंधीत काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंच मार्ग की व्यवस्था सुरक्षित की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात हक हिस्से अनुसार वादी के खातेदारी में दर्ज होने तक आराजी के किसी भी भू भाग को रहन बय बक्षीस अथवा अन्तरण नहीं करें न करावें एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न स्वयं करे न करावें। इसी आशय का पर्चा डिक्री एवं अलग से जारी हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:38:08 IST
Reason: SelfAttested

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,